

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. --- /2021
GST Circular No. // /2021

2018/AC-II/1/57

25th February, 2021

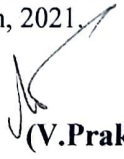
General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub :- Expected Income Tax TCS from Vendor's payment for the FY-2021-2022.

As per section 206C(1H) of the Income Tax Act, 1961, Supplier of Goods have to collect TCS amount from their bills raised on IRFC (for example SAIL, etc), provided the bill amount is above Rs. 50 lakh. IRFC is proposing to seek exemption certificates from the Income Tax Department for the financial year 2021-2022 (Assessment Year 2022-2023). In order to obtain this exemption, IRFC is seeking information as follows:-

Name of the Vendor	Estimated Total value of Procurement of Goods for FY-2021- 2022 (in Rupees)	Income Tax PAN	Income Tax TAN

The above information may kindly be furnished directly to Mr. N H Kannan, General Manager, IRFC at his email id gmirfc@gmail.com or nhkannan@gmail.com or gitachauhanca@rediffmail.com . This may be treated as '**Most Urgent**' and compliance may be ensured latest by 5th March, 2021.


(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. EDs, ED level empowered Committee, Railway Board,
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board,
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. MD, IRFC, GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS
5. JDF/L&F, Railway Board

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आबीए सं. 12021
जीएसटी परिपत्र सं. 11/2021

2018/एसी-II/1/57

25 फरवरी, 2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय:- वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए वेंडरों के भुगतान से संभावित आयकर टीसीएस।

आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 206सी(1एच) के अनुसार माल के आपूर्तिकर्ता को आईआरएफसी के नाम पर प्रस्तुत किए गए उनके बिलों से टीसीएस राशि एकत्रित करनी होती है (उदाहरणतः सेल, आदि), बशर्त कि बिल की राशि 50 लाख रूपए से अधिक हो। आईआरएफसी वित्त वर्ष 2021-2022 (आकलन वर्ष 2022-2023) के लिए आयकर विभाग को छूट प्रमाणपत्रों की मांग का प्रस्ताव भेज रही है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए आईआरएफसी ने निम्नलिखित सूचना मांगी है:-

वेंडर का नाम	वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए माल की खरीद का अनुमानित कुल मूल्य (रुपयों में)	आयकर पैन	आयकर टैन

कृपया उपर्युक्त सूचना सीधे श्री एन. एच. कण्णन, महाप्रबंधक, आईआरएफसी को उनकी ईमेल आईडी gmirfc@gmail.com या nhkannan@gmail.com या glitchauhancha@rediffmail.com पर भेजी जाए। इसे 'अति आवश्यक' समझा जाए और 5 मार्च, 2021 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(वी. प्रकाश)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड के सभी कार्यपालक निदेशक।
- निदेशक स्तर जीएसटी कक्ष, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
- प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पाद इकाइयां।
- प्रबंध निदेशक, आईआरएफसी, महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।
- संयुक्त निदेशक वित्त/एलएंडएफ, रेलवे बोर्ड।